[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii)में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून, 2016

का .आ._______(अ), - आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा के 10खण्ड के तहत प्रदत्त (46) शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा, उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिए अर्थात् प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम, जोकि असम सरकार द्वारा गठित एक निकाय है को उक्त बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्

(क) सहमति शुल्क ;

(ख) विश्लेषण शुल्क;

(ग) नेशनल एअर मॉनिट्रिंग प्रोग्राम, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों एवं इसी प्रकार की योजनाओं की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्ययो की प्रतिपूर्ति;

(घ) प्राधिकार शुल्क;

(ङ) उपकर प्रतिपूर्ति तथा उपकर शुल्क;

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) के अन्तर्गत प्राप्त शुल्क और अपील शुल्क;

(छ) जन सूनवाई शुल्क;

(ज) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए कर्ज और अग्रिम धन पर ब्याज;

(झ) विविध आय जैसेकि पुराने तथा कबाड़ की बिक्री, निविदा शुल्क, और इससे संबंधित अन्य मामले जिसमें कोई लाभ न निहित हो;

(ञ) जमा पर ब्याज ।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी :-

(क) पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई भी वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्षों में क्रियाकलाप और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खण्ड (छ) प्रावधानों के अनुसार अपनी आयकर विवरणी दायर किया करेगा।

3. यह अधिसूचना पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में लागू हुई मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2015-2016, 2016-17, 2017-2018, 2018- 2019 और 2019-2020 के मामले में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 40 /2016, फा .सं.196/ 03 /2016-आईटीए-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, नई दिल्ली।